विवरण

7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या की महिला साक्षरता दर

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	महिला साक्षरता दर
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	29.37
3.	आसाम	43.70
4.	बिहार	23.10
5.	गोवा	68.20
6.	गुजरात	48.50
7.	हरियाणा	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	52.46
9.	जम्मू और कश्मीर	26.15*
10.	कर्नाटक	44.34
11.	केरल	86.93
12.	मध्य प्रदेश	28.39
13.	महाराष्ट्र	50.51
14.	मणिपुर	48.64
15.	मेघालय	44.78
16.	मिजोरम	78.09
17.	नागालैण्ड	55.72
18.	उड़ीसा	34.40
19.	पंजाब	49.72
20.	राजस्थान	20.84
21.	सिक्किम	47.23
22.	तमिलनाडु	52.29
23.	त्रिपुरा	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	26.02
		47.15

संघशासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
2. चंडीगढ़	73.61
3. दादरा और नागर हवेली	16.10
4. दमन और दीव	61.38
5. दिल्ली	68.01
6. लक्षद्वीप	70.88
7. पांडिचेरी	65.79
भारत	39.42

*अतिरिक्त बहिर्वेशन से अंकलित अनुमान

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता

2571. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आनिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा निति तैयार करते समय देश में युवा वर्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई नीति में भारतीय इतिहास और संस्कृति को सही-सही प्रतिबिम्बित किया जाए, सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या छात्रों में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (नेशनल करिक्यूलम फ्रेमवर्क) तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास संवैधानिक दायित्व, भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक अन्य तत्वों से युक्त सामान्य महत्वपूर्ण विषय होंगे । फ्रेमवर्क के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए रा०शै०अ०प्र०प० ने स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किये । रा०शै०अ०प्र०प० के संशोधित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्य एजेंसियों ने भी स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या/पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने और चरणबद्ध तरीके से उन्हें स्कूल प्रणाली में लगाने के लिए कदम उठाए हैं । इसके अतिरिक्त, रा०शै० अ०प्र०प० का एक सतत मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय एजेंसियों और प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से समीक्षा की जाती है ।

कालेज/विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं है । प्रत्येक विश्वविद्यालय शैक्षिक दृष्टि से स्वायत्त है और अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करता है । हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को समाज के लिए अधिक संगत बनाने के लिए पाठ्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है । इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा भारत में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास जैसे विषयों के सम्बन्ध में जागरूकता लाना शामिल है ।

Representation from All India Research Associates Association

2572. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the All India Research Associates Association, Varanasi;

(b) if so, what are the demands contained therein; and

(c) the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) Yes, Sir. The Convenor of the All India Research Associates Association had submitted a Memorandum regarding demands of Research Associates working in different Universities and Research Institutes of the country. The main demands of the Association are:—

—The Research Associates should be granted allowances such as DA and CCA w.e.f. 1-4-1987.

—Research Associates should be given first priority in recruitment to various posts in Universities, Research Institutes and various Departments of the Government.

—The experience of a candidate as Research Associate should be taken into account for recruitment for regular jobs.

—All funding agencies should adopt uniform Rules and Regulations regarding tenure and other service conditions of Research Associates.

—Working conditions and leave rules of Research Associates should be at par with teachers|scientists of Universities and Research Institutes.